रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 1985/चैत्र 11, 1907
No 168] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 1985/CHAITRA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली 30 मार्च 1985

अधिसूचना

का०आ० 284(अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ अड़सठवां संशोधन) नियम, 1985 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(क) प्रथम अनुसूची में —

(i) शीर्ष '3 वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय" और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षों का निम्नलिखित शीर्ष से प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् —

"3 वाणिज्य मंत्रालय।'

(ii) शीर्ष '23 इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय' और उसके अन्तर्गत उप-शीर्षों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और उप-शीर्ष अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थात् —

"23क पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय

(i) पूर्ति विभाग।

(ii) वस्त्र विभाग।

(ख) द्वितीय अनुसूची में —

(i) "वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय" से संबंधित भाग में —

(i) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

वाणिज्य मंत्रालय',

(ii) उप-शीर्ष क वाणिज्य विभाग' का लोप किया जायेगा।

(iii) उप-शीर्ष "ख पूर्ति विभाग' और "ग वस्त्र विभाग" और उनके अन्तर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(2) शीर्ष "इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय" तथा उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय :

क. पूर्ति विभाग

1 जिन मदों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिये क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य ।

2. अधिशेष स्टोर का व्ययन।

3 गत युद्ध-संगठनों, जिनके अन्तर्गत सिविल अनुरक्षण यूनिटों सहित वायुयान महानिदेशालय और पोत मरम्मत महानिदेशालय भी हैं, से संबंधित पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य।

4 निम्नलिखित का प्रशासन —

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय;

(ख) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली;

(ग) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता।

ख. वस्त्र विभाग

1 जूट, जूट उत्पाद, हस्तशिल्प और सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों, जिनमें हैंडलूम, विद्युत् करघे, सिले-सिलाये वस्त्र शामिल हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यात के लिये) और विकास तथा रेशम और सेलुलोसिक तन्तुओं, जिनमें गैर-सेलुलोसिक संश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पालियेस्टर, एक्रिलिक आदि) नहीं हैं के उत्पादन से सम्बद्ध उद्योग।

2. वस्त्र आयुक्त ।

3. पटसन आयुक्त ।

4. जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

5 काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।

7. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड।

8. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड।

9. रेशम कीट पालन।

10. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

11. हैंडलूम विकास आयुक्त।

12. अहमदाबाद टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद।

13. बम्बई टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

14. दि सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

15. दि साउथ इण्डिया टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर ।

16. वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

17. इण्डियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन कलकत्ता।

18. नार्दर्न इण्डिया टैक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली।

19. वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, हैंडलूम, सिले-सिलाये वस्त्रों, रेशम और सेलुलोसिक तन्तुओं, जूट और जूट उत्पादों और हस्तशिल्पों के संबंध में निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार।

20. हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम और उसके सहायक संगठन।

21. वस्त्र समिति।

22. पटसन आयुक्त।" ।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/85-मंत्रि]
एल०आर० के० प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th March, 1985

NOTIFICATION

S.O. 284(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and sixty-eighth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, —

(a) in the First Schedule,—

(i) for the heading "3. Ministry of Commerce and Supply (Vanijya aur Poorti Mantralaya)", and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely:—

"3. Ministry of Commerce

(Vanijya Mantralaya).";

(ii) after the heading "23. Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan aur Koyala Mantralaya)", and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:—

"23. A. Ministry of Supply and Textiles (Poorti aur Vastra Mantralaya):

(i) Department of Supply (Poorti Vibhag).

(ii) Department of Textiles (Vastra Vibhag)."

(b) in the Second Schedule,—

(1) in the portion relating to "Ministry of Commerce and Supply (Vanijya Aur Poorti Mantralaya)",—

(i) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"MINISTRY OF COMMERCE

(Vanijya Mantralaya).";

(ii) the sub-heading "A. Department of Commerce (Vanijya Vibhag)" shall be omitted;

(iii) the sub-headings "B. Department of Supply (Poorti Vibhag)", and "C. Department of

Textiles (Vastra Vibhag)" and the entries thereunder shall be omitted;

(2) after the heading "Ministry of Steel, Mines and Coal (Ispat, Khan Aur Koyala Mantralaya)", and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES
(Poorti Aur Vastra Mantralaya) :

A. DEPARTMENT OF SUPPLY
(Poorti Vibhag)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than items the purchase, inspecion and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

2. Disposal of surplus stores.

3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Unit and Directorate General, Ship Repairs.

4. Administration of—

(a) Directorate General of Supplies and Disposals;

(b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi;

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.

B. DEPARTMENT OF TEXTILES
(Vastra Vibhag)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens including handlooms, powerlooms, ready made garments and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc).

2. Textiles Commissioner.

3. Jute Commissioner.

4. Jute Corporation of India Limited.

5. Cotton Corporation of India Limited.

6. All India Handicrafts Board.

7. All India Handlooms Board.

8. The National Textile Corporation Limited.

9. Sericulture.

10. Central Silk Board.

11. Handloom Development Commissioner.

12. Ahmedabad Textile Industries Research Association, Ahmedabad.

13. Bombay Textile Research Association, Bombay.

14. The Silk and Art Silk Mills' Research Association, Bombay.

15. The South India Textile Research Association, Coimbatore.

16. Wool Research Association, Bombay.

17. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.

18. Northern India Textile Research Association, New Delhi.

19. Development and expansion of export production in relation to textiles, woollens, handlooms, ready-made garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products and handicrafts.

20. Handicrafts and Handlooms Export Corporation and its subsidiary.

21. Textile Committees.

22. Commissioner of Payments.".

ZAIL SINGH
President

[No. 74|2|1|85-Cab]
L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985